न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 190/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी बिसारणियां तहसील चौहटन जिला बाडमेर		1– इन्दु पत्नी मदरूपाराम जाति जाट निवासी सुरते की बेरी, दूधु तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर 2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–4–2021 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 94/2018 अनवान इन्दु बनाम मानाराम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 1193 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सुरते की बेरी विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आई हुई है । प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से बेचान दिनांक 28–12–2015 को 2 बीघा भूमि उक्त खसरा मे से क्रय की जिसका नामांतरकरण संख्या 381 प्रार्थिनी के नाम स्वीकार किया । इसके बाद दिनांक 13–5–2016 को 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि अप्रार्थी से फिर क्रय की जिसका नामांतरकरण संख्या 386 दर्ज किया गया, जिसकी प्रार्थी एवं विप्रार्थी की सहमति से तरमीम कर दी गई । जिसमे प्रार्थिनी द्वारा खरीद की गई 02 बीघा भूमि का खसरा नंबर 1193/1 तथा 6.17 बीघा खरीदसुदा भूमि का खसरा नंबर 1193/2 कायम किये गये । विप्रार्थी संख्या 1 के मूल खसरा संख्या 1193 मे 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि शेष बची, जो मौजुदा जगाबंदी मे दर्ज है । प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सहमति के आधार पर तरमीम हेतु हल्का पटवारी को नक्शा बनाकर दिया गया तथा उसी अनुसार मौके पर मौका दिखाकर तरमीम की जाने हेतु निवेदन किया परंतु जब प्रार्थिनी द्वारा नक्शे की नकल प्राप्त की तब प्रार्थिनी को जानकारी हुई कि हल्ला पटवारी द्वारा भूलवशः गलत तरमीम कर दी गई जिसमे प्रार्थिनी का 6.07 बीघा भूमि का आयातकार भू भाग का हिस्सा वाला खसरा विप्रार्थी को कर दिया गया तथा त्रिभुजाकार भू भाग मे जो उतर–पूर्व की तरफ था, उक्त हिस्से रकबा 2 बीघा जो खसरे के आयातकार भू भाग की तरफ प्रार्थिनी का शेष खसरा

संलग्न नजरी नक्शे में प्रार्थिनी का हिस्सा बरंग लाल रकबा 6.17 बीघा व बरंग पीला
रकबा 2.00 बीघा प्रार्थिनी तथा नजरी नक्शा का हिस्सा बरंग हरा विप्रार्थी संख्या 1 के
कब्जा काश्त में है तथा इसी अनुरूप तरमीम का निवेदन किया था परंतु भूलवशः अलग
तरीके से कब्जा काश्त के विपरीत तरमीम हो गई, जिसे दुरस्त किया जाने का निवेदन
किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–4–2021 के द्वारा
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तरमीम दुरस्ती कर रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु
तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये
अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–4–2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस
न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील
अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी मौखिक बहस के निरंतर
मे लिखित बहस भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से उसके कार्यवाहक अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसको धारा 29
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के निर्णय पारित करने का अधिकार नही था, वे केवल
रूटीन का कार्य कर सकते थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकार
क्षेत्र से परे पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि अपीलाधीन
कार्यवाही का नोटिस सम्यक रूप से अपीलार्थी से तामिल नही करवाया गया बल्कि
नोटिस पर तामिल कार्यवाही पटवारी हल्का दुधु द्वारा करनी बताई गई है अपीलाधीन
पत्रावली मे पटवारी को नोटिस तामिल भेजने का कोई आदेश नही था उक्त नोटिस मे
तारीख पेशी मे कांटछांट है नोटिस चस्पा करना बताया गया है जिसके मौतबीर स्थानीय
नही है एक मौतबिर अरनियाली का दुसरा भलीसर का दोनो ही दुर गांव के है । उक्त
नोटिस पर तहसीलदार की कोई तस्दीक नही है इससे स्पष्ट है कि पटवारी हल्का
नोटिस की रिपोर्ट तहसील मे ही की गई है तथा तामिल रिपोर्ट पूर्ण रूप से संदेहास्प्रद
है । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन निर्णय
पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ
न्यायालय ने पटवारी से मौका रिपोर्ट तलब करने का आदेश नही दिया, पटवारी ने मौका
रिपोर्ट बनाने से पहले अपीलार्थी खातेदार को नोटिस नही दिया । पटवारी ने अपनी
मौका रिपोर्ट मे खसरा नंबर 93/2 रकबा 6.17 बीघा भूमि को रोड पर गलत दिखाया है
जबकि अपीलार्थी के बेचान रजिस्ट्री दिनांक 13–5–2016 उक्त रकबा रोड से लगता
नही बेचा है । जिस बेचान की नकल अपील के साथ प्रस्तुत है तथा पटवारी हल्का ने
अपनी मौका रिपोर्ट मे खसरा नंबर 1193/1 रकबा 2 बीघा को रोड से दूर गलत वर्णित
किया है जबकि अपीलार्थी ने उक्त 2 बीघा भूमि उसका रोड पर बेचान की है । यह
रिपोर्ट बेचाननामा दिनांक 4–1–2016 के खिलाफ है । उक्त बेचान रजिस्ट्री की नकल
... ने अपनी रिपोर्ट मे अपीलार्थी की भूमि खसरा नंबर

1193 को सडक से दूर गलत दर्शित किया है जबकि बेचान दिनांक 4–1–2016 मे प्रत्यर्थी इन्दू के 2 बीघा भूमि के बेचान के उत्तर मे लगती बताई गई है जबकि पटवारी हल्का ने अपीलार्थी के खसरा नंबर का उक्त 2 बीघा के पूर्व मे दिखाया है इसप्रकार पटवारी हल्का की रिपोर्ट पूर्ण रूप से गलत एवं पजीकृत दस्तावेजो के विरूद्ध होने से विश्वास योग्य नही है तथा उक्त रिपोर्ट निरस्त किये जाने के योग्य है तथा उस आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश भी पंजीकृत दस्तावेज मे दर्शित पडौस की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी कथन किया कि मौका कमिश्नर संबंधित पक्षकार को नोटिस दिये बिना रिपोर्ट नही बना सकता है परंतु वर्तमान मामले मे पटवारी हल्का ने बिना कोई सूचना के अपने कार्यालय` बैठकर तैयार की है जो साक्ष्य मे ग्राह्य नही है । इस संबंध मे वकील अपीलांट ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2012 (1)ड्ब्लुएलएन पेज 606 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत कर अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–4–2021 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि वर्तमान मे नवसृजित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय एवं तहसील कार्यालय मे तामिल कुनिन्दा उपलब्ध ही नही है इसलिए वहां पटवारी द्वारा ही तामिल करवाई जा रही है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट का नोटिस पटवारी हल्का से तामिल करवाया गया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने वकील अपीलांट की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि अपीलाट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो रजिस्ट्री की प्रति प्रस्तुत की थी तथा रजिस्ट्री मे जो पता लिखा गया है उसी पते पर नोटिस भेजे गये है इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि गलत पते पर नोटिस भेजा गया है ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उनका प्रकरण वर्ष 2018 से अधीनस्थ न्यायालय से लंबित था जो वर्ष 2021 मे निस्तारित हुआ अथार्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे 3 वर्ष तक चला था तथा अधीनस्थ न्यायालय मे तामिल भी सही थी तथा अपीलाधीन निर्णय भी सही जारी किया गया होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अपीलांट द्वारा अपील मे गलत पता लिखा जाकर नोटिस भिजवाना लिखा है, ... अनुसार अपीलांट का पता हाल निवासी सूरते की

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अति॰ सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

तामिली के बावजुद अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष नही रखा गया। मौका फर्द दिनांक 24–2–2019 अनुसार "ग्राम सुरते की बेरी के खसरा नंबर 1193/1 व 1193/2 मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 चल रहा है, इस खसरे मे राष्ट्रीय राजमार्ग की रेकर्ड मे तरमीम व मौके पर भौतिक स्थिति मे भिन्नता है । साथ ही यह भी लिखा गया है कि इन्दु के नाम से रेकर्ड मे दर्ज खसरो मे तथा मौके पर कब्जा मे भिन्नता है, मौतबरान द्वारा बताया गया कि तरमीम करते समय कब्जानुसार खसरा संख्या अंकित नही की गई है ।" पत्रावली के अवलोकन से मौका जांच पश्चात तरमीम की जानी पाई गई है । उक्त तथ्यो एवं विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–4–2021 मे हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–4–2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर